

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

उओप्रओ, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 जून, 2025

विषय: प्रदेश में झूबने के कारण होने वाली जनहानियों को न्यूनतम करने हेतु झूबने से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न रेडियो चैनलों के माध्यम से रेडियो जिंगल चलाये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संओ-640/राओआओप्रओप्राओ/कृषि/2024-25, दिनांक 27.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में झूबने के कारण होने वाली जनहानियों को न्यूनतम करने हेतु झूबने से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न रेडियो चैनलों के माध्यम से निम्नलिखित विवरणानुसार रेडियो जिंगल चलाये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से रू० 1,71,14,162/- आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

क्र०	चैनल का नाम	विज्ञापन प्रतिदिन	विज्ञापन की अवधि	अनुमानित व्यय (जीओएसओटीओ सहित)
1	आकाशवाणी	05 (18 स्टेशनस)	30 सेकेण्ड	63,25,941.06/-
2	रेडियो मिर्ची	09 (04 स्टेशनस, 03 बैंड)	30 सेकेण्ड	18,68,907.60/-
3	रेड एफओएमओ 93.5	09 (05 स्टेशनस, 03 बैंड)	30 सेकेण्ड	19,15,423.20/-
4	एफओएमओ तड़का	09 (06 स्टेशनस, 03 बैंड)	30 सेकेण्ड	12,64,204.80/-
5	फीवर एफओएमओ	09 (07 स्टेशनस, 03 बैंड)	30 सेकेण्ड	17,87,983.20/-
6	रेडियो सिटी	09 (03 स्टेशनस, 03 बैंड)	30 सेकेण्ड	18,82,288.80/-
7	विग एफओएमओ	09 (03 स्टेशनस, 03 बैंड) 06 (06 स्टेशनस, 02 बैंड)	30 सेकेण्ड	20,69,413.20/-
कुल				1,71,14,162/-

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में झूठे के कारण होने वाली जनहानियों को न्यूनतम करने हेतु झूठे से बचाव के उपायों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न रेडियो चैनलों के माध्यम से उपरोक्त विवरणानुसार रेडियो जिंगल चलाये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि ₹0 1.71 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा मोचक निधि के सवध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 1.71 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAIENDRA MANI TRIPATHI
Date: 05-06-2025 14:06:12
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या:-635(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-06/06/2025

प्रेषण संख्या:- 635
आवंटन आदेश संख्या:- 001-635
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रणामी	17100000 276527199	17100000 276527199
	योग	वर्तमान प्रणामी	17100000 276527199	17100000 276527199

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ इकत्तर लाख
महायोग- (प्रणामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ पैसठ लाख सत्ताइस हजार एक सौ निन्यानवे


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।